न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथराम चौधरी (आर०ए०एस०)

प्रकरण सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक 16/5/24
24/2019	13.06.2019	

1. घेवरराम पुत्र शिवलालराम जाति मेघवाल
2. चिमाराम पुत्र शिवलालराम जाति मेघवाल
3. बाबूराम पुत्र सुरताराम जाति मेघवाल
4. लोगाराम पुत्र सुरताराम जाति मेघवाल
5. कैलाश कुमार पुत्र भोपाराम जाति मेघवाल
6. चौथी पत्नी सुरताराम जाति मेघवाल समस्त निवासीगण हिणकुडी भोमसागर तहसील शेरगढ

प्रार्थीगण

बनाम

1. डूगरसिह पुत्र पन्नेसिह
2. रामसिह पुत्र राणीदानसिह जाति राजपूत निवासी हिणकुडी (भोमसागर)
3. कुम्भसिह पुत्र राणीदानसिह जाति राजपूत निवासी हिणकुडी (भोमसागर)
4. आम्बसिह पुत्र राणीदानसिह जाति राजपूत निवासी हिणकुडी (भोमसागर)
5. चन्दनसिह पुत्र राणीदानसिह जाति राजपूत निवासी हिणकुडी (भोमसागर)
6. जीवराजसिह पुत्र राणीदानसिह जाति राजपूत निवासी हिणकुडी (भोमसागर)
7. खीवसिह पुत्र राणीदानसिह जाति राजपूत निवासी हिणकुडी (भोमसागर)
8. मीरोकंवर पत्नी डूगरसिह जाति राजपूत निवासी हिणकुडी (भोमसागर)
9. जुगताराम पुत्र रेंवताराम जाति मेघवाल निवासी हिणकुडी (भोमसागर)
10. चेनाराम पुत्र रेंवताराम जाति मेघवाल निवासी हिणकुडी (भोमसागर)
11. पेपाराम पुत्र रेंवताराम जाति मेघवाल निवासी हिणकुडी (भोमसागर)
12. पुरखाराम पुत्र रेंवताराम जाति मेघवाल निवासी हिणकुडी (भोमसागर)
13. रिमाराम पुत्र रेंवताराम जाति मेघवाल निवासी हिणकुडी (भोमसागर)
14. कपूराराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी हिणकुडी (भोमसागर)
15. मानाराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी हिणकुडी (भोमसागर)
16. रेशमाराम पुत्र प्रहलादराम उर्फ पताराम जाति मेघवाल निवासी हिणकुडी(भोमसागर) तहसील शेरगढ
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शेरगढ

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम

1 प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री इन्द्राराम बोस उपस्थित।
2 अप्रार्थीगण सख्या 1 से 16 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।
3 अप्रार्थी सख्या 17

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के दादाजी मगाराम तथा अप्रार्थीगण सख्या 9 से 16 के सह खातेदार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 154 बीघा भूमि ग्राम हिणकुडी पटवार क्षेत्र चाबा तहसील शेरगढ में आई हुई है ।

पूर्व में इस भूमि के खातेदार प्रार्थीगण के पूर्वज मगाराम व अप्रार्थीगण सख्या 9 से15 के पूर्वज मूलाराम तथा अप्रार्थी सख्या 16 है । मूलाराम का देहान्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर अप्रार्थीगण सख्या 9 से 15 का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है । कालान्तर में मगाराम व मूलाराम के वारिसान तथा रेशमाराम द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर 56 का आपस में बटवाडा करवा लिया गया था । उस बटवाडे के अनुसार मगाराम के खातेदारी मे अर्थात प्रार्थी के खसरा नम्बर 56/2 रकबा 78.14 बीघा तथा मूलाराम के वारिसान अप्रार्थी सख्या 9 से 15 के खातेदारी में खसरा नम्बर 56 रकबा 37.18 बीघा तथा अप्रार्थी सख्या 16 के खातेदारी में खसरा नम्बर 56/1 रकबा 37.08 बीघा भूमि

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ (जोधपुर)

रखी गयी एवं उपरोक्त बटवाडे अनुसार सभी पक्षकारान मौके पर अपनी अपनी भूमि पर कब्जा काबिज हो ।

खसरा नम्बर 56 कुल रकबा 154 बीघा भूमि के दक्षिण दिशा मे खसरा नम्बर 50 कुल रकबा 88 बीघा आया हुआ है। जो अप्रार्थीगण सख्या 01 से 08 बीघा के सह खातेदारी में दर्ज है। जिस भूमि के बाबत अप्रार्थीगण सख्या 01 से 08 के मध्य जमाबंदी में आपस मे बटवाडा दर्शाया हुआ है । जिसके अनुसार अप्रार्थी सख्या 1 के हिस्से में खसरा नम्बर 50/2 रकबा 29.06 बीघा भूमि दर्ज है । जबकी अप्रार्थीगण सख्या 02 से 07 के हिस्से में खसरा नम्बर 50 रकबा 29.07 बीघा भूमि दर्ज है। किन्तु सम्पूर्ण खसरा एक ही एक ही चक में दर्शाया गया है ।

खसरा नम्बर 50 के खातेदारान अप्रार्थीगण सख्या 1 से 08 के द्वारा शुरू से प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण सख्या 9 से 16 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 56 के सीमांकन को लेकर विवाद किया जा रहा है । एवं आये दिन अप्रार्थीगण सख्या 1 से 8 के द्वारा प्रार्थीगण के खातेदारी की उपरोक्त खसरा की भूमि को स्वयं के खातेदारी की भूमि दर्शाते हुए जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस कारण मौके पर हमेशा गम्भीर तनाव बना रहा है । एंव आये दिन लडाई झगडा होता रहता है । इस वजह से प्रार्थी घेवरराम द्वारा पूर्व में तहसीलदार शेरगढ के समक्ष अपने खसरा नम्बर 56 की पैमाईश करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार शेरगढ द्वारा अपने आदेश कमाक 106 दिनांक 23.6.2004 के द्वारा खसरा नम्बर 56 रकबा 154 बीघा की पैमाईश हेतु आदेश भी पारित किया गया था । जिस आदेश पर प्रार्थी द्वारा पैमाईश की फिस जमा करवाने पर भू अभिलेख निरीक्षक लालाराम मीना तथा पटवारी चिमनाराम द्व्रारा दिनांक 13.7.2004 को खसरा नम्बर 56 की भूमि की पैमाईश भी की गई थी। जिस पैमाईश रिपोर्ट में भी खसरा नम्बर 56 तथा खसरा नम्बर 50 के मध्य सीमाकन का विवाद उजागर हुआ था। किन्तु अप्रार्थीगण सख 1 से 8 की राजतैनिक पहुच होने के कारण एवं प्रार्थीगण के गरीब व अनपढ होने का फायदा उठाते हुए उपरोक्त आरआई व पटवारी द्वारा दिनांक 13.7.2004 की बनाई गयी।पैमाईश रिपोर्ट तहसीलदार शेरगढ के समक्ष प्रस्तुत ही नही किया गया।

प्रकरण में प्रार्थीगण एंव राज पेरोकार की बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार शेरगढ को आदेशित किया जाता है की खसरा नम्बर 56 रकबा 154 बीघा भूमि ग्राम हिणकुडी पटवार क्षेत्र चाबा तहसील शेरगढ में सभी खातेदारो की उपस्थिति में पत्थरगढी करे । आवश्यकता होने पर तहसीलदार शेरगढ पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगे ।

(भागीरथराम चौधरी)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी शेरगढ

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ (जोधपुर)